दण्ड प्रक्रिया नियमावली 144 के अन्तर्गत आदेश

गुप्तचर विभाग, हरियाणा द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि माह जनवरी–फरवरी, 2016 में जाट अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा जाट आरक्षण की मांग के दौरान कुछ लोगो द्वारा अपने घरो में खुला पैट्रोल/डीजल/अन्य ज्वलनशील पदार्थो का केनी, प्लास्टिक की बोतलो में अवैध रूप से भण्डारण किया हुआ था जिसको उक्त आरक्षण आन्दोलन के दौरान शरारती तत्वों द्वारा प्रयोग में लाया गया और जिससे आम जन को भारी हानि उठानी पडी। उक्त समिति द्वारा पुनः दिनांक 29–01–2017 से फिर से अपनी मांगो के सन्दर्भ में धरना/प्रदर्शन की घोषणा की गई है। अतः आप अपने जिले में खुले में पैट्रोल पम्पों से डीजल व पैट्रोल की खुली कैनी एवं प्लास्टिक की बोतलो में बिक्री को प्रतिबन्धित करने का कष्ट करें ताकि उक्त धरना/प्रदर्शन में किसी अप्रिय घटना को रोका जा सकें।

आपातकालीन स्थिति व समय की कमी तथा परिस्थितियो के दृष्टिगत मैं यह आदेश सम्बंधित व्यक्तियो की अनुपस्थिति में पारित करता हूॅ तथा यह जन सामान्य को सम्बोधित है।

अतः दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियो के अन्तर्गत मैं, समीर पाल सरो, भा0प्र0से0, जिलाधीश, फरीदाबाद तुरन्त प्रभाव से सम्पूर्ण/समस्त जिला फरीदाबाद में पैट्रोल पम्पो से खुले कैनी एवं प्लास्टिक की बोतलो में डीजल/पैट्रोल की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाता हूं।

इस आदेश की जिला फरीदाबाद में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक, कृषि अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, फरीदाबाद/बल्लबगढ, तहसीलदार, फरीदाबाद/बल्लबगढ, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, फरीदाबाद/बल्लबगढ अपने–2 क्षेत्र में पूर्ण पालना करवायेगें ताकि आमजन को इसके प्रयोग से होने वाले शारीरिक नुकसान से बचाया जा सकें तथा जिले में शान्ति एवं सद्भावना का माहौल बनाएं रखा जा सकें। जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, फरीदाबाद की वैन द्वारा मुनादी करवाकर ग्रामीण क्षेत्रों, उपमण्डल, तहसील, कार्यालयो, न्यायालय परिसर एवं सार्वजनिक स्थानो व थानो पर चस्पा करके प्रचार किया जावे।

यह प्रतिबन्ध जारी करने की तिथि से 60 दिन(अथवा उससे पूर्व वापिस लेने पर) तक मान्य होगी।

उपर्युक्त आदेश की अवहेलना करने पर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत दण्ड का भागी होगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर से आज दिनांक 18th March 2017 आदेश जारी किया गये।

DISTRICT MAGISTRATE FARIDABAD

जिलाधीश, फरीदाबाद।

पृ0 क्रमांक 24899-915/एम.बी.1 दिनांक 18/3/2017

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

27. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चंडीगढ।
28. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चंडीगढ।
29. प्रधान सचिव, पर्यावरण टूरिज्म, आर्कियोलॉजी एवं म्यूजियम विभाग, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
30. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, चंडीगढ।
31. पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर विभाग, हरियाणा, पंचकूला को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 3233–3309/कास्ट इशुज डैस्क, दिनांक 25–01–2017.
32. निदेशक, खाद्य एवं पूर्ति हरियाणा, पंचकूला।
33. आयुक्त, गुडगांव मण्डल, गुडगांव।
34. आयुक्त पुलिस, फरीदाबाद।
35. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद।
36. आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद।
37. राज्य के समस्त जिलाधीश।
38. अतिरिक्त उपायुक्त, फरीदाबाद।
39. उप मण्डलाधीश, फरीदाबाद/बल्लबगढ।
40. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, फरीदाबाद।
41. जिला राजस्व अधिकारी, फरीदाबाद।
42. तहसीलदार, फरीदाबाद/बल्लबगढ।
43. उप निदेशक, कृषि विभाग, फरीदाबाद।
44. जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक, फरीदाबाद।
45. क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फरीदाबाद/बल्लबगढ।
46. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, फरीदाबाद/बल्लबगढ।
47. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, फरीदाबाद।
48. निजी सहायक, जिलाधीश/नगराधीश, फरीदाबाद।

कृतेः जिलाधीश, फरीदाबाद।